

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 22-09-2026

विषय सूची

भारत की नई राष्ट्रीय लेखा पद्धति
भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
फफूंदरोधी प्रतिरोध का बढ़ता खतरा
पश्चिमी घाट के संरक्षण पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट
जेंडर सैपशॉट 2026

संक्षिप्त समाचार

कथकली महोत्सव
चिकित्सा दुकानों पर CCTV निगरानी
अनुच्छेद 22 पर सर्वोच्च न्यायालय
रोजगार मेला
LPG के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेथनॉल संबंधी नियम निरस्त
अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट
'आंग' (Angh) ने TIFF प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता

भारत की नई राष्ट्रीय लेखा पद्धति

संदर्भ

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वर्ष 2026 में आधार वर्ष 2022-23 के साथ राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला का 8वाँ संशोधित संस्करण जारी किया, जिसमें कई पद्धतिगत परिवर्तन किए गए हैं। इनमें विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (GVA) के आकलन में विशेष रूप से **दोहरे अपस्फीति** की शुरुआत उल्लेखनीय है।

राष्ट्रीय लेखा क्या है?

- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय और व्यय का एक व्यवस्थित चित्र प्रस्तुत करती है।
- इनके माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल मूल्य वर्धन (GVA), उपभोग, निवेश, बचत और बाह्य व्यापार जैसे समष्टिगत आर्थिक संकेतकों का आकलन किया जाता है। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र की **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA)** के ढाँचे के अनुरूप किया जाता है।

आधार वर्ष का विकास

- भारत समय-समय पर अपनी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के आधार वर्ष में संशोधन करता रहा है।

Base Year	Year of release of data on new base year
1960-1961	1967
1970-1971	1978
1980-1981	1988
1993-1994	1999
1999-2000	2006
2004-2005	2010
2011-2012	2015
2022-2023	2026

- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को समाहित करना, आँकड़ों के स्रोतों में सुधार करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि स्थिर-मूल्य पर आधारित अनुमान समकालीन अर्थव्यवस्था का अधिक यथार्थ प्रतिनिधित्व करें।

गणना की पद्धति

- GDP को तीन विधियों से देखा जा सकता है:
 - उत्पादन विधि:** उद्योगों का GVA + उत्पादों पर कर – सब्सिडी।
 - व्यय विधि:** अंतिम उपभोग + सकल पूंजी निर्माण + निर्यात – आयात।
 - आय विधि:** कर्मचारियों का पारिश्रमिक + परिचालन अधिशेष/मिश्रित आय + कर – सब्सिडी।
- वास्तविक GDP/GVA के आकलन के लिए वर्तमान मूल्यों पर आधारित आँकड़ों को उपयुक्त मूल्य अपस्फीतकों के माध्यम से मूल्य परिवर्तनों के लिए समायोजित करना आवश्यक होता है।

प्रमुख परिवर्तन: विनिर्माण क्षेत्र में दोहरी अपस्फीति

- पूर्ववर्ती पद्धति में एकल मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता था, जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के नाममात्र GVA को एक समग्र अपस्फीतक के माध्यम से वास्तविक GVA में परिवर्तित किया जाता था।
 - 2022-23 की नई श्रृंखला में विनिर्माण क्षेत्र के लिए **दोहरे अपस्फीति** की पद्धति लागू की गई है, जिसमें निम्नलिखित को अलग-अलग समायोजित किया जाता है:
 - विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, और
 - उत्पादन में प्रयुक्त आगतों (inputs) की लागत।
- MoSPI द्वारा भारतीय वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के आँकड़ों तथा DPIIT के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी कारखाना-द्वार कीमतों पर आधारित प्राथमिक वस्तु-स्तरीय उत्पादनकर्ता मूल्य सूचकांकों (PPI) का उपयोग किया जाता है।
- उत्पादन PPI में अंतिम एवं मध्यवर्ती दोनों प्रकार की वस्तुएँ शामिल हैं। इनमें गेहूँ, दूध, बॉक्साइट, कोकिंग कोयला, विद्युत, परिष्कृत पाम तेल, बेसन, सूती धागा, बोरियाँ/गनी बैग, चमड़ा, नैपथा, फॉस्फोरिक अम्ल, सीमेंट तथा अर्द्ध-तैयार लौह एवं इस्पात जैसी वस्तुएँ शामिल हैं।
 - इस प्रकार, एक उद्योग के उत्पादन की कीमत दूसरे उद्योग के लिए आगत की कीमत के रूप में कार्य कर सकती है।
- मूल्य के आधार पर वस्तुओं की रैंकिंग करने के बाद ऐसी वस्तुओं का चयन किया जाता है जो उत्पादन और आगत के मूल्य का 80% प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद ASI से प्राप्त भारों का उपयोग प्रत्येक वस्तु को अलग-अलग अपस्फीत करने के लिए किया जाता है।
- 30 विनिर्माण श्रेणियों में से दो श्रेणियाँ—**प्रसंस्कृत खाद्य एवं तेल** तथा **औषधियाँ**—को बाहर रखा गया है, क्योंकि इनमें आयातित आगतों की हिस्सेदारी अधिक है और प्राथमिक वस्तु-स्तरीय उत्पादन PPI के साथ इनका प्रत्यक्ष मिलान करना कठिन है।

- जिन सेवा आगतों के लिए PPI उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए उपभोक्ता कीमतों तथा निहित अपस्फीतकों का उपयोग किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

- नई श्रृंखला में परिभाषित-लाभ पेंशन के उपचार में भी संशोधन किया गया है। अब सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित पेंशन अधिकारों के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाया जाता है, जबकि पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किए गए पेंशन भुगतान को एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया जाता था।

महत्व

- दोहरे अपस्फीति की पद्धति वास्तविक विनिर्माण GVA का अधिक सैद्धांतिक रूप से उपयुक्त माप प्रदान कर सकती है, क्योंकि इसमें उत्पादन कीमतों और आगत कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को अलग-अलग दर्ज किया जाता है।
- वस्तु-स्तर पर अधिक विस्तृत आँकड़ों का उपयोग उत्पादन और मूल्य संबंधी आँकड़ों के बीच अधिक बेहतर संगति स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

चिंताएँ और मुद्दे

- एक प्रमुख चिंता यह है कि भारत में PPI अभी भी प्रयोगात्मक अवस्था में है, जिससे आगत कीमतों के मापन की विश्वसनीयता और निरंतरता को लेकर प्रश्न उठते हैं।
- मध्यवर्ती आगतों, विशेषकर आयातित आगतों और सेवाओं का घरेलू PPI के साथ मिलान करना भी एक चुनौती बना हुआ है।
- फलतः वास्तविक विनिर्माण GVA में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और उनकी तुलना औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे अन्य संकेतकों के साथ भी की जानी चाहिए।

आगे की राह

- भारत को एक व्यापक PPI को संस्थागत रूप देना, वस्तु-स्तर पर मूल्य-संग्रहण में सुधार करना, ASI तथा प्रशासनिक आँकड़ा-स्रोतों को सुदृढ़ करना, आयातित आगतों और सेवाओं के कवरेज में सुधार करना तथा अपस्फीतकों के पारदर्शी दस्तावेजीकरण और समय-समय पर उनके सत्यापन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

स्रोत: BS

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

संदर्भ

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
- भारत-न्यूजीलैंड FTA का उद्देश्य आगामी चार से पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके ₹35,000 करोड़ तक पहुँचाना है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता है, जिसके अंतर्गत वे निम्नलिखित के लिए सहमत होते हैं:
 - वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम करना या समाप्त करना;
 - सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना;
 - निवेश को संरक्षण प्रदान करना;
 - बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना।

FTA की प्रमुख विशेषताएँ

- शून्य-शुल्क बाजार पहुँच:** भारत-न्यूजीलैंड FTA के अंतर्गत भारत के 100% निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
- भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों में बाजार पहुँच की पेशकश की है, जबकि 29.97% टैरिफ लाइनों को अपवर्जन सूची में रखा गया है।



- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रतिबद्धता:** न्यूजीलैंड आगामी 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे।
- **जैविक प्राथमिक उत्पाद:** दोनों पक्षों के बीच जैविक प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता पर सहमति बनाई जाएगी।
- **MSME सहयोग:** छोटे व्यवसायों को व्यापार-संबंधी जानकारी और वैश्विक बाजारों तक पहुँच बनाने में सहायता के लिए संस्थागत संपर्क स्थापित किए जाएंगे।
- **तकनीकी सहायता:** आयुष, दृश्य-श्रव्य उद्योग, पर्यटन, खेल और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है।
 - FTA भारत की आयुष प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है, चिकित्सा मूल्य-आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करता है तथा भारत को वैश्विक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता करता है।
- **सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) व्यवहार:** 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धता की गई है, जबकि 139 क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) व्यवहार प्रदान किया जाएगा।
- **छात्र गतिशीलता:** न्यूजीलैंड ने प्रथम बार किसी देश के साथ छात्र गतिशीलता और अध्ययन-पश्चात कार्य वीजा संबंधी परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - भारतीय छात्र अध्ययन के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक कार्य कर सकेंगे। भविष्य में नीतिगत परिवर्तन होने पर भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। साथ ही, अध्ययन-पश्चात कार्य वीजा की अवधि भी विस्तारित की गई है (STEM स्नातक: 3 वर्ष; मास्टर डिग्री: अधिकतम 3 वर्ष; डॉक्टरेट: अधिकतम 4 वर्ष)।
- **पेशेवर अवसर:** भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुशल भारतीयों को अधिकतम 3 वर्ष तक रहने के लिए 5,000 वीजा का कोटा निर्धारित किया गया है।
- **वर्किंग हॉलिडे वीजा:** प्रत्येक वर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 माह की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में बहु-प्रवेश सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
 - भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र के कुछ उत्पादों को अपवर्जन सूची में रखा गया है, जो श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
 - इनमें डेयरी, पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव मूल के वसा एवं तेल, हथियार एवं गोला-बारूद, रत्न एवं आभूषण, तांबा एवं उससे संबंधित वस्तुएँ तथा एल्युमिनियम एवं उससे संबंधित वस्तुएँ शामिल हैं।

FTA से भारत के लिए महत्त्व

- भारत-न्यूजीलैंड FTA के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में शुल्क-मुक्त या अधिमान्य बाजार पहुँच सुनिश्चित हुई है।
 - इन लाभों से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर सृजित होने तथा ओशिनिया क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ होने की अपेक्षा है।
- आयुष तथा भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्रों में विशेष सहयोग पर सहमति बनी है।
 - सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के स्वदेशी माओरी समुदायों के साथ संपर्क को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे भारत की सॉफ्ट पावर तथा उसकी सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक पहचान को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
- **बागवानी क्षेत्र में लाभ:** न्यूजीलैंड ने भारत में कीवी फल, सेब और शहद के उत्पादकों की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा क्षेत्रीय क्षमताओं में सुधार के लिए केंद्रित कार्य योजनाओं पर सहमति व्यक्त की है।
 - प्रीमियम सेब उत्पादकों के लिए परियोजनाएँ तथा सतत मधुमक्खी-पालन की पद्धतियाँ उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने में सहायता करेंगी।
 - इस बाजार पहुँच को **टैरिफ दर कोटा (TRQ)** प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी आयात का प्रावधान होगा। इससे घरेलू किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार संबंध

- न्यूजीलैंड ओशिनिया क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहाँ लगभग 3,00,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो न्यूजीलैंड की जनसंख्या का लगभग 5% हैं। यह भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक सेतु के रूप में कार्य करता है।
- वर्ष 2025-26 में न्यूजीलैंड ने भारत को कुल 1.21 अरब अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया तथा भारत से 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया। इसके परिणामस्वरूप 18.186 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष और 2.24 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार हुआ।
- यह इस अवधि में न्यूजीलैंड के कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात का 1.8% तथा आयात का 1.5% था।

निष्कर्ष

- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते ने व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए नए अवसरों के द्वार प्रशस्त किए हैं।

- किसानों और MSMEs से लेकर छात्रों तथा कुशल पेशेवरों तक, इस समझौते से होने वाले लाभ व्यापक स्तर पर प्राप्त होने की अपेक्षा है।
- यह समझौता भारत की एक विश्वसनीय और दूरदर्शी वैश्विक साझेदार के रूप में स्थिति को सुदृढ़ करता है तथा वैश्विक रूप से एकीकृत विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

स्रोत: TH

फफूंदरोधी प्रतिरोध का बढ़ता खतरा

पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य, GS3/ वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- कैडिडा ऑरिस पर किए गए एक शोध से पता चलता है कि फफूंदरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध जीन उत्परिवर्तन, जीन के दोहराकरण तथा कोशिका में क्षतिपूर्क तंत्रों के माध्यम से विकसित हो सकता है।

फफूंद संक्रमण क्या हैं?

- फफूंद संक्रमण रोगजनक फफूंद के कारण होने वाले रोग हैं, जो त्वचा, नाखून, फेफड़ों, रक्तप्रवाह तथा शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं।
- डर्मेटोफाइट्स ऐसी फफूंद हैं जो त्वचा, नाखून और बालों के संक्रमण के सामान्य कारण हैं, जबकि कैडिडा ऑरिस जैसे यीस्ट गंभीर प्रणालीगत संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं।
- प्रतिरक्षा-क्षीण व्यक्तियों में फफूंद संक्रमण विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये आक्रामक होकर जीवन के लिए घातक हो सकते हैं।

कैडिडा ऑरिस चिंता का विषय क्यों है?

- कैडिडा ऑरिस एक उभरता हुआ बहु-दवा-प्रतिरोधी यीस्ट है, जो विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में रक्तप्रवाह तथा अन्य आक्रामक संक्रमण उत्पन्न करता है।
- इसकी प्रथम पहचान वर्ष 2009 में जापान में हुई थी और इसके बाद कई देशों में इसके मामले सामने आए हैं।
- भारत में परीक्षण किए गए C. ऑरिस के 90% से अधिक नैदानिक आइसोलेट्स एंजोल वर्ग की फफूंदरोधी दवाओं, जैसे फ्लुकोनाज़ोल, के प्रति प्रतिरोधी पाए गए तथा इनमें से कई पॉलीन वर्ग की दवाओं के प्रति भी प्रतिरोधी थे।

फफूंदरोधी प्रतिरोध वृद्धि के कारण

- **वैश्विक तापन:** अधिकांश फफूंद सामान्यतः मानव शरीर के तापमान पर अच्छी तरह जीवित नहीं रह पातीं, जिससे मनुष्यों को संक्रमित करने की उनकी क्षमता सीमित रहती है।

- बढ़ता वैश्विक तापमान अधिक ऊष्मा-सहिष्णु फफूंद को अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है, जिससे वे धीरे-धीरे अधिक उष्ण परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती हैं।
- फफूंदरोधी दवाओं का बार-बार या अनुचित उपयोग फफूंद पर चयनात्मक दबाव डालता है, जिससे प्रतिरोधी उपभेदों के जीवित रहने और उनकी संख्या बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
- **सीमित नैदानिक सुविधाएँ:** अनेक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में फफूंद की प्रजातियों की पहचान करने तथा दवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का परीक्षण करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है।
- इसके परिणामस्वरूप संक्रमणों का उपचार अप्रभावी दवाओं से किया जा सकता है, जिससे प्रतिरोधी फफूंद के बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।
- **सीमित उपचार विकल्प:** बैक्टीरिया की तुलना में फफूंद और मानव कोशिकाओं के बीच जैविक अंतर कम होते हैं। इसलिए ऐसी दवाएँ विकसित करना कठिन है जो रोगी की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाए बिना केवल फफूंद को नष्ट कर सकें।

ईगल प्रभाव

- ईगल प्रभाव एक विरोधाभासी घटना है, जिसमें कुछ फफूंद फफूंदरोधी दवा की कम सांद्रता के संपर्क में आने पर प्रभावित होने के बजाय बहुत अधिक सांद्रता में दवा के संपर्क में आने पर जीवित रह सकती हैं या पुनः वृद्धि कर सकती हैं।
- C. ऑरिस में ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दवा की उच्च सांद्रता क्षतिपूर्क जैविक मार्गों को सक्रिय कर देती है, जैसे काइटिन संश्लेषण में वृद्धि।
- अतः फफूंदरोधी दवा की मात्रा बढ़ाना हमेशा अधिक उपचारात्मक लाभ सुनिश्चित नहीं करता।

चुनौतियाँ

- अनेक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में फफूंद के निदान और पहचान के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।
- पारंपरिक संवेदनशीलता परीक्षण असामान्य प्रतिरोध तंत्रों, जैसे विरोधाभासी वृद्धि, को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकते।
- प्रतिरोध से संबंधित उत्परिवर्तनों की पहचान के लिए उन्नत जीनोमिक परीक्षण महंगे हो सकते हैं और उन्हें नियमित रूप से लागू करना कठिन हो सकता है।
- प्रभावी फफूंदरोधी दवाओं के सीमित वर्ग उपचार की विफलता के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- कमजोर निगरानी के कारण उभरते हुए प्रतिरोधी फफूंद उपभेदों की पहचान में विलंब हो सकता है।

आगे की राह

- **फफूंद की निगरानी का सुदृढ़ीकरण:** उभरते हुए तथा दवा-प्रतिरोधी फफूंद रोगजनकों की निगरानी के लिए एकीकृत राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए।
- **निदान में सुधार:** विशेष रूप से तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अस्पतालों में फफूंद कल्चर, फफूंदरोधी संवेदनशीलता परीक्षण तथा जीनोमिक विधियों तक पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **वन हेल्थ दृष्टिकोण:** फफूंदरोधी प्रतिरोध का अध्ययन मानव, पशु और पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्रों में समग्र रूप से किया जाना चाहिए, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में।

स्रोत: TH

पश्चिमी घाट के संरक्षण पर कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट

संदर्भ

- कर्नाटक ने पश्चिमी घाट के संबंध में कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है।

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट

- डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में **उच्च-स्तरीय कार्य समूह (HLWG)** का गठन वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट के संरक्षण के संबंध में गठित गाडगिल समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए किया गया था।
- समिति ने पश्चिमी घाट के 37% क्षेत्र, जो लगभग 59,940 वर्ग किमी में फैला है, को **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)** के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की। इसका मुख्य जोर विकास और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन पर था।
 - इसने चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को विनियमित करने पर बल दिया, जबकि अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाए रखने की बात कही।
 - समिति ने सतत आजीविका के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन वन अधिकारों पर अपेक्षाकृत कम जोर दिया।
- इसने वर्तमान पर्यावरणीय व्यवस्था व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अत्याधुनिक निगरानी एजेंसी की स्थापना की सिफारिश की।

चिंताएँ

- कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र के लगभग 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र में स्थित 1,449 गाँवों को ESA से संबंधित प्रतिबंधों के लिए चिन्हित किया गया है।
- राज्य सरकार का तर्क है कि प्रस्तावित सीमाओं के कारण कृषि भूमि और निजी स्वामित्व वाले क्षेत्र नियामकीय ढाँचे के अंतर्गत आ सकते हैं, जिससे किसानों एवं निवासियों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
- किसानों ने कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने, एक नई समिति गठित करने तथा केरल मॉडल के समान वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की माँग की है।

माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र:** रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 64% क्षेत्र को **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)** के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई थी, जिन्हें ESZ-1, ESZ-2 और ESZ-3 में विभाजित किया गया।
 - इसमें पूरे क्षेत्र को **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)** घोषित करने की भी सिफारिश की गई थी।
 - ESZ-1 में खनन, ताप विद्युत संयंत्रों और बाँधों के निर्माण जैसी लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियों को रोकने तथा जिन समान परियोजनाओं की निर्धारित उपयोग-अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें चरणबद्ध रूप से बंद करने की सिफारिश की गई थी।
- **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत क्षेत्र की पारिस्थितिकी का प्रबंधन करने और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक पेशेवर निकाय की स्थापना की सिफारिश समिति ने की थी।
- **एकल वाणिज्यिक फसलों की खेती पर रोक:** चाय, कॉफी, इलायची, रबर, केला और अनानास जैसी फसलों की खेती को सीमित करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि इनके कारण “वनों का विखंडन, मृदा अपरदन, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण एवं पर्यावरण में विषाक्त प्रदूषण” जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **सामुदायिक भागीदारी:** समिति ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का आग्रह किया था। इसमें वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत **सामुदायिक वन संसाधनों** से संबंधित प्रावधानों को सक्रिय और संवेदनशील तरीके से लागू करना भी शामिल था।

पश्चिमी घाट

- पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैली लगभग 1,600 किमी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है।
- यह छह राज्यों—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल—में फैला हुआ है।
- इस पर्वत श्रृंखला का लगभग 60% भाग कर्नाटक में स्थित है।
- **महत्त्व:** इस घाट में ऊँचाई वाले पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जो क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की 325 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- पश्चिमी घाट को वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था।

स्रोत: TH

जेंडर स्नैपशॉट 2026

संदर्भ

- **जेंडर स्नैपशॉट 2026** रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (SDG) का एक भी लक्ष्य ऐसा नहीं है, जिसके वर्ष 2030 तक प्राप्त होने की दिशा में अपेक्षित प्रगति हो रही हो।
- **जारीकर्ता:** संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग।

प्रमुख बिंदु

- **लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे:** लैंगिक समानता की दिशा में दशकों से हुई प्रगति वर्तमान समय में रुक रही है या पीछे जा रही है। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लैंगिक समानता संबंधी सतत विकास लक्ष्य (SDG) का कोई भी लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त होने की दिशा में अपेक्षित प्रगति पर नहीं है।
- सतत विकास लक्ष्य 5 का उद्देश्य लैंगिक अंतर को समाप्त करना तथा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
- लैंगिक समानता के लिए वित्तपोषण वर्ष 2021 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गया है, जिसमें महिला अधिकार संगठनों पर विशेष रूप से गंभीर प्रभाव पड़ा है।
- वित्तपोषण में कटौती के बीच 42% संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं ने अपने लैंगिक समानता संबंधी प्रयासों के कमजोर होने की सूचना दी।

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** सात में से छह देशों का नेतृत्व पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2026 में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27.4% है, जो वर्ष 2015 में 22.3% थी।
- स्थानीय सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्ष 2023 से 35.6% पर स्थिर बना हुआ है।
- **बहुस्तरीय काँच की छत :** विश्व स्तर पर कॉर्पोरेट मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 6% है और सर्वोच्च न्यायालयों में 20% से भी कम संस्थानों का नेतृत्व महिलाएँ करती हैं। परिणामस्वरूप, व्यवसाय, कानून, रोजगार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्णयों में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है।
- **अवैतनिक देखभाल का भार:** महिलाएँ और लड़कियाँ अब भी अनुपातहीन रूप से अधिक अवैतनिक देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। वे पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कार्य और देखभाल संबंधी कार्यों पर 2.5 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं।

- **बाल विवाह:** लगभग पाँच में से एक लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, जबकि विश्वभर में अनुमानतः 23 करोड़ महिलाएँ और लड़कियाँ महिला जननांग विकृति की पीड़ित हैं।

सुझाव

- सुदृढ़ अधिकार-क्षेत्र, पर्याप्त कर्मचारियों तथा समर्पित और पूर्वानुमेय संसाधनों के माध्यम से राष्ट्रीय लैंगिक समानता तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
- लैंगिक-संवेदनशील बजट निर्माण का विस्तार किया जाए तथा प्रगति और प्रभावों की निगरानी के लिए व्यापक प्रणालियाँ स्थापित की जाएँ।
- सबसे अधिक वंचित समूहों की महिलाओं और लड़कियों को सक्षम बनाकर समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएँ।
- महिलाओं के नेतृत्व के संबंध में सामाजिक धारणाओं और विमर्श में परिवर्तन लाकर भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को समाप्त किया जाए तथा महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए अवसर, संसाधन एवं सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

स्रोत: DTE

संक्षिप्त समाचार

कथकली महोत्सव

समाचार में

- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा 17वें कथकली महोत्सव का आयोजन किया गया।

कथकली

- ‘कथकली’ शब्द मलयालम के “कथा” (कहानी) + “कली” (नाटक/अभिनय) से बना है।
- माना जाता है कि कथकली का विकास 17वीं शताब्दी में केरल में हुआ।
- कथकली में भक्ति, नाटक, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और शृंगार का समन्वय होता है। इसके माध्यम से मुख्यतः भारतीय महाकाव्यों की प्राचीन एवं महान कथाओं को हस्त-मुद्राओं, चेहरे की भाव-भंगिमाओं और अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
- कथकली की प्रस्तुतियाँ आट्टकथा साहित्य पर आधारित होती हैं और इनमें नेत्र-संचालन, लयबद्ध पदचालन, शारीरिक गतियों तथा भावपूर्ण अभिनय को विशेष महत्व दिया जाता है।
- इसमें सोपान/अभिनय संगीत शैली के संगीत का प्रयोग किया जाता है तथा चेंडा, मड्डलम, चेंगिला और इलतालम जैसे वाद्य यंत्रों की संगति होती है।
- गायकों को पोन्नानी और शिकिडी कहा जाता है।
- परंपरागत रूप से कथकली का मंचन पूरी रात किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे प्रायः कम अवधि की प्रस्तुतियों के रूप में भी मंचित किया जाता है।
- परंपरागत रूप से यह पुरुषों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कला रही है, किंतु वर्तमान में महिलाएँ भी कथकली में विभिन्न स्तरों पर भाग लेती हैं।

कलाक्षेत्र फाउंडेशन

- रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा वर्ष 1936 में स्थापित कलाक्षेत्र फाउंडेशन ने भारत की शास्त्रीय कलाओं और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, अभ्यास तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- फाउंडेशन भरतनाट्यम के विकास और प्रस्तुतीकरण के क्षेत्र में कार्य करता रहा है तथा शिक्षा और प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी संगीत, नृत्य एवं शिल्प परंपराओं के हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है।

स्रोत: PIB

चिकित्सा दुकानों पर CCTV निगरानी

संदर्भ

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुदरा चिकित्सा दुकानों पर अनिवार्य CCTV निगरानी का प्रस्ताव रखा है, जिसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग को तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा।

CCTV निगरानी की आवश्यकता

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य अनुसूची H, H1 और X के अंतर्गत आने वाली दवाओं की अनधिकृत बिक्री और पहुँच को रोकना है। इनमें एंटीबायोटिक्स, मनःप्रभावी पदार्थ तथा अन्य केवल चिकित्सकीय पर्चे पर उपलब्ध दवाएँ शामिल हो सकती हैं।
- यह उपाय विशेष रूप से नाबालिगों को बिना चिकित्सकीय पर्चे के ऐसी दवाओं की बिक्री को रोकने तथा चिकित्सकीय पर्चे पर मिलने वाली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- औषधि परामर्श समिति (DCC) ने प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)/औषधि पोर्टल स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है।
- शिकायतों या संदिग्ध उल्लंघनों की स्थिति में लेन-देन की पुष्टि के लिए CCTV फुटेज मुख्यतः एक सत्यापन तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

स्रोत: IE

अनुच्छेद 22 पर सर्वोच्च न्यायालय

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की लिखित रूप में तथा ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता हो, सूचना देना और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत आवश्यक मौलिक अधिकार हैं।

अनुच्छेद 22

- अनुच्छेद 22 व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ताकि उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इस कारण इसका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा से प्रत्यक्ष संबंध है।
- अनुच्छेद 22(1): प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जानी चाहिए तथा उसे अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा अपना बचाव कराने का अधिकार होगा।

- **अनुच्छेद 22(2):** गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 घंटे से अधिक अवधि तक निरोध में रखने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है।

पुनः गिरफ्तारी और अनुच्छेद 22 पर सर्वोच्च न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि **अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा उपायों को कमजोर नहीं किया जा सकता।**
- न्यायालय ने पुनः गिरफ्तारी के लिए कठोर शर्तें निर्धारित कीं:
 - ♦ आरोपी को सबसे पहले गिरफ्तारी के आधार **लिखित रूप में** उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
 - ♦ पुलिस को प्रस्तावित पुनः गिरफ्तारी के कारणों के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा तथा यह स्पष्ट करना होगा कि प्रारंभ में गिरफ्तारी के आधार क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
 - ♦ आवेदन पर किसी वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन/समर्थन होना चाहिए।
 - ♦ जाँच किसी अन्य अधिकारी को हस्तांतरित की जानी चाहिए।
 - ♦ जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच शुरू की जानी चाहिए।
- पुनः गिरफ्तारी के लिए न्यायिक स्वीकृति आवश्यक होगी। मजिस्ट्रेट को यह संतुष्ट होना होगा कि प्रारंभ में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध न करा पाने के पीछे वास्तविक एवं सद्भावनापूर्ण कारण थे तथा पुनः गिरफ्तारी आवश्यक है।
- न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के मामलों में उचित **क्षतिपूर्ति** प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

स्रोत: TH

रोजगार मेला

संदर्भ

- राष्ट्रीय रोजगार मेले के 20वें संस्करण में सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

राष्ट्रीय रोजगार मेले के बारे में

- राष्ट्रीय रोजगार मेला एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तीव्रता लाना तथा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों में रिक्तियों को भरना है।

- इसका उद्देश्य युवा सशक्तीकरण, समयबद्ध भर्ती और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना तथा सरकारी संस्थानों में मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुदृढ़ करना है।
- इस पहल की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी।

रोजगार मेला क्या है?

- रोजगार मेला एक रोजगार-केंद्रित आयोजन है, जो नियोक्ताओं और संभावित रोजगार-प्रार्थियों को प्रत्यक्ष संवाद, आवेदन और भर्ती के लिए एक मंच पर लाता है।
- व्यापक रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), क्षेत्र कौशल परिषदों (SSCs) और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (PMKKs) के सहयोग से रोजगार मेलों का आयोजन करता है।
- निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को इसमें भाग लेने तथा पात्र अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संगठित किया जाता है।
- रोजगार मेले 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं तथा विभिन्न शैक्षिक और कौशल पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - ♦ 8वीं, 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी
 - ♦ ITI और डिप्लोमा धारक
 - ♦ स्नातक
 - ♦ राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) के अनुरूप प्रशिक्षित और प्रमाणित अभ्यर्थी।
- रोजगार मेलों में कैरियर परामर्श, कौशल मेले, मुद्रा ऋण सुविधा और कौशल प्रदर्शनियों जैसी पूरक सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

स्रोत: PIB

LPG के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण

संदर्भ

- देशभर के घरेलू LPG उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर, 2026 से सब्सिडी वाले सिलेंडर की रीफिल बुकिंग जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना आवश्यक होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG वास्तविक घरेलू परिवारों तक पहुँचे तथा घरेलू सिलेंडरों के वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए अवैध रूप से हस्तांतरण को रोका जा सके।

- इससे डुप्लिकेट और अपात्र LPG कनेक्शनों की पहचान करने तथा सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, अब तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं, अर्थात् कुल उपभोक्ताओं के 89.9%, ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- जिन उपभोक्ताओं ने BAA पूरा नहीं किया है, वे प्रमाणीकरण के बाद ही सब्सिडी वाली रीफिल बुक कर सकेंगे।
- BAA निम्नलिखित माध्यमों से पूरा किया जा सकता है:
 - डिलीवरी के समय, जब डिलीवरी कर्मी संबंधित तेल विपणन कंपनी (OMC) के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रमाणीकरण कर सकते हैं;
 - वितरक के शोरूम पर; या
 - घर से OMC के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से।
- जो उपभोक्ता BAA पूरा करने के इच्छुक नहीं हैं या ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे LPG खरीद सकते हैं, लेकिन लागू व्यवस्थाओं के अधीन उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी।

LPG सब्सिडी की लागत

- घरेलू LPG को लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है। घरेलू LPG को किफायती बनाए रखने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में OMCs को ₹22,000 करोड़ का मुआवजा दिया था तथा वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान ₹30,000 करोड़ का भुगतान कर रही है।
- इसके बावजूद, 31 अगस्त, 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की OMCs द्वारा घरेलू LPG पर संचित अवसूली ₹62,000 करोड़ से अधिक हो गई थी।

स्रोत: PIB

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेथनॉल संबंधी नियम निरस्त

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विष नियम, 1972 के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जिनके तहत गैर-औषधि निर्माताओं को बेचने से पूर्व मेथनॉल में रंगकारक और कड़वाहटकारक मिलाना अनिवार्य था।

पृष्ठभूमि

- महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1991 में मुंबई में हुई एक जहरीली शराब त्रासदी के बाद मेथनॉल पर अधिक सख्त नियंत्रण लागू किए थे। इस घटना में मेथनॉल युक्त मिलावटी शराब के सेवन से लगभग 93 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

- वर्ष 2011 में महाराष्ट्र ने अपने विष नियमों में संशोधन किया और नियम 18A तथा 18B को शामिल किया।
- इन नियमों के तहत मेथनॉल की खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए तथा गैर-औषधि निर्माता को बिक्री से पहले मेथनॉल में कड़वाहटकारक और रंगकारक मिलाना अनिवार्य किया गया।
- इसके अतिरिक्त, नियम 18B के तहत फॉर्म A में लाइसेंस के बिना मेथनॉल रखना ज़बती योग्य माना गया है।

मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) CH_3OH

- यह एक रंगहीन, जल में मिश्रणीय और अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है, जिसका क्वथनांक लगभग 65°C होता है।
- पूर्व में इसका उत्पादन लकड़ी के विनाशकारी आसवन द्वारा किया जाता था।
- वर्तमान में इसका अधिकांश उत्पादन उत्प्रेरकों की सहायता से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन (सिनगैस) से किया जाता है। इसके लिए बायोमास से प्राप्त सिनगैस का भी उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग फॉर्मल्लिहाइड, कृत्रिम रेजिन, रंगों, औषधियों और इत्र के उत्पादन में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग विलायक, एंटीफ्रीज और ईंधन के रूप में भी होता है।
- मेथनॉल का उपयोग फॉर्मल्लिहाइड, पैराफॉर्मल्लिहाइड, पेंट, रेजिन तथा अन्य रसायनों सहित विभिन्न उत्पादों के निर्माण में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- यह अत्यंत विषैला होता है (एथेनॉल के विपरीत) और इसका सेवन अंधापन या मृत्यु का कारण बन सकता है।

स्रोत: TH

अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट

संदर्भ

- भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट के 18वें संस्करण का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुभारंभ हुआ।

अभ्यास के बारे में

- अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन वर्ष 2006 से भारत और मंगोलिया में बारी-बारी से किया जा रहा है। इस अभ्यास का विगत संस्करण वर्ष 2025 में मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित किया गया था।

- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत अर्ध-शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में **उग्रवाद-रोधी अभियानों** को संचालित करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है।

स्रोत: PIB

‘आंग’ (Angh) ने TIFF प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता

समाचार में

- नागालैंड के फिल्म निर्माता **तेजा रियो** की प्रथम फीचर फिल्म ‘आंग’ (Angh) ने वर्ष 2026 के टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में प्रतिष्ठित **प्लेटफॉर्म पुरस्कार** जीता।

प्रमुख बिंदु

- 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत-म्यांमार सीमा के निकट स्थापित यह फिल्म **आंगबा**, जो एक कोन्याक गाँव का मुखिया है, और उसके परिवार की कहानी प्रस्तुत करती है, जहाँ पारंपरिक मान्यताओं का सामना ईसाई धर्म तथा आधुनिक प्रभावों से होता है।
- फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से **कोन्याक भाषा** में की गई है। इसमें स्थानीय गैर-पेशेवर कलाकारों के साथ स्कॉटिश अभिनेता **डगलस हेंशल** ने भी अभिनय किया है।
- यह फिल्म नागा समाज में होने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संक्रमण को दर्शाती है, जिसमें पारंपरिक रीति-रिवाजों और पहचान के क्रमिक क्षरण को भी रेखांकित किया गया है।

स्रोत: AIR

